शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध
संख्या–5453/सत्तर–3–2020–08(20)/2020

प्रेषक,

मोनिका एस. गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

2. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

3. **कुलसचिव,**
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

4. **कुलसचिव,**
समस्त निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊः दिनॉक 17 नवम्बर, 2020**

विषयः– कोविड–19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों में भौतिक रूप से पठन–पाठन पुनः आरम्भ किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रो0 रजनीश जैन, सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–14–8/2020(सीपीपी–II), दिनांक 05 नवम्बर, 2020 के माध्यम से विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को पुनः पोस्ट लॉकडाउन अवधि में खोले जाने हेतु उपलब्ध कराए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों/गाइडलाइन में मुख्यतः मुद्दे तथा चुनौतियॉ, पूर्व से ही की जाने वाली तैयारियॉ तथा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के खुलने के उपरान्त ध्यान देने वाले महत्वपूर्ण बिन्दु एवं सुरक्षा से सम्बन्धित सावधानियॉ, छात्र, शिक्षक एवं स्टॉफ की संवदेनशीलता एवं केन्द्र एवं राज्य सरकार के स्टेकहोल्डर्स हेतु दिशा–निर्देश दिए गए है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उक्त पत्र सभी विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों को परिचालित किया गया है।

2– पोस्ट लॉकडाउन अवधि में पठन–पाठन भौतिक रूप से दिनांक 23.11.2020 से आरम्भ किए जाने हेतु गृह (गोपन) अनुभाग–3 द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 01.10.2020 में दिए गए दिशा–निर्देशों तथा 100 से अधिक व्यक्तियों के लिये अनुमति कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :–

(a) किसी भी बन्द स्थान यथा, हॉल/कमरे के निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 200 व्यक्तियों तक को फेस मास्क, सोशल डिस्टेन्सिंग, थर्मल स्कैनिंग व सेनेटाइजर एवं हैण्ड वॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ।

(b) किसी भी खुले स्थान/मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के अनुसार फेस मास्क, सोशल डिस्टेंन्सिंग, थर्मल स्कैनिंग व सेनेटाइजर एवं हैण्ड वॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ।

Aneeta Rai G.O. PC-1

उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित SOP के शर्तों के अधीन विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को खोले जाने की अनुमति संस्था प्रबन्धन द्वारा जिला प्रशासन के परामर्श से दी जा सकती है :-

(1) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में गतिविधियों की योजना एवं निर्धारण

विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में अपने परिसर को फिर से खुलने तथा शिक्षण कार्य की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालन किए जाने हेतु अपनी योजना विकसित किए जाने की आवश्यकता होगी, जो कि निम्नवत है :-

- संस्थाओं को विभिन्न कार्यक्रमों में सभी विभागों एवं छात्रों के बैचो के लिये पूरी तरह रोस्टर के साथ चरणबद्ध तरीके से परिसर खोलने का विवरण तैयार किया जाय।
- शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों तथा छात्रों को आई0कार्ड0 पहनना अनिवार्य किया जाय।
- संकाय, छात्र, कर्मचारी को एक दूसरे से बचने के लिये नियमित रूप से जांच की जानी चाहिए।
- कक्षाओं को चरणबद्ध तरीके से चालू किए जाने के सम्बन्ध में सप्ताह मे 06 दिवसीय शिड्यूल का पालन किया जा सकता है तथा बैठने की व्यवस्था को शारीरिक दूरी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया जाय।
- विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में कक्षाओं के आकार को कम करने और कक्षाओं के दौरान शारीरिक दूरी को बनाए रखने के लिये कक्षाओं को कई भागों में विभाजित किए जाने पर विचार किया जा सकता है।
- कक्षाओं की उपलब्धता के आधार पर कक्षाओं में भाग लेने के लिये 50 प्रतिशत छात्रों को रोटेशन के आधार पर अनुमति दी जा सकती है।
- ऑनलाइन शिक्षण के लिये शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- परिसर में आगन्तुकों को बिल्कुल भी अनुमति नही दिया जाना चाहिए या उनके प्रवेश को प्रतिबन्ध किया जाना चाहिए।
- परिसर में भीडभाड़ से बचने के दृष्टि से शैक्षिक कैलेण्डर योजना बनायी जाय। जितना सम्भव हों एकेडमिक कैलेण्डर में नियमित कक्षाओं और ऑनलाइन शिक्षण के मिश्रण को बढ़ावा देना चाहिए।
- शिक्षण और प्रशिक्षण कार्य के लिये दिनवार एवं समयवार का निर्धारण संस्था द्वारा किया जा सकता है।
- प्रयोगशाला में अधिकतम क्षमता को कम करते हुए पुनः निर्धारण किया जाय।
- वृद्ध कर्मचारी, गर्भवती महिला तथा गम्भीर रूप से रोगी कर्मचारियों को छात्रों के साथ सीधे सम्पर्क वाले कार्यों से दूर रखना चाहिए।

(2) संस्था प्रमुख की भूमिका

- संस्था के प्रमुख/महाविद्यालय के प्राचार्य शासन के आदेश और निर्देशानुसार कोविड–19 के प्रकोप को देखते हुए SOP तैयार कर सकते है।
- परिसर को खोलने से पहले एक विस्तृत योजना तैयार की जानी चाहिए जिसमें अन्य बातो के साथ स्वच्छता, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य उपायो को शामिल किया जाना चाहिए तथा उचित कियान्वयन किया जाना चाहिए। संकाय और कर्मचारियों की मदद से नियमित निगरानी की जानी चाहिए।
- कोविड–19 से लड़ने में सहायता और सहायता के लिये नजदीकी अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों, गैर सरकारी संगठनों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ टाईअप की स्थापना की जा सकती है।
- सभी शैक्षणिक गतिविधियों के लिए शैक्षणिक कैलेंडर, शिक्षण मोड, परीक्षा मूल्यांकन आदि को पहले से अच्छी तरह से तैयार रखना चाहिए।
- कोविड–19 महामारी से संबंधित विभिन्न मुद्दों को नियत्रंण करने के लिए एक समूह बनाना चाहिए, जो इस कार्य को समूह में संकाय ओर कर्मचारियों, छात्र समुदायों के स्वयंसेवक, गैर सरकारी संगठन, स्वास्थ्य संगठन और सरकारी अधिकारी अथवा शिक्षक को शामिल हो सकते है।
- शिक्षकों, छात्रों एवं कर्मचारियों को संस्था खोले जाने के सम्बन्ध में बनाई गई योजना, शासन द्वारा जारी किए गए निर्देश तथा SOP से अवगत कराया जाना चाहिए।

(3) शिक्षक की भूमिका

- शिक्षकों को संस्थागत योजनायें और SOP प्रकियाओं की पूरी तरह अवगत होना चाहिए।
- प्रत्येक शिक्षक द्वारा उनके द्वारा पढ़ाये जाने वाले विषयों के लिए एक विस्तृत शिक्षण योजना तैयार की जानी चाहिए जिसमें समय–सारणी कक्षा का आकार, वितरण के तरीके असाइनमेन्ट, सिद्धान्त, व्यवहारिक, निरन्तर मूल्यांकन, सेमेस्टर मूल्यांकन आदि शामिल हों।
- शिक्षकों को नवीनतम शिक्षण विधियों और ई–संसाधनों की उपलब्धता के साथ खुद को अपडेट रखना चाहिए।
- शिक्षकों को छात्रों को कोविड–19 सम्बन्धी स्थिति, सुरक्षित और स्वस्थ्य रहने के लिये बरती जाने वाली सावधानियॉं और कदमों से अवगत कराया जाना चाहिए।
- शिक्षकों को अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की निगरानी करनी चाहिए।

(3) माता–पिता की भूमिका

- माता–पिता को सुनिश्चित करना चाहिए। उनके बच्चें घर पर और जब भी बाहर जाय नियमों का पालन करें।
- यदि छात्र अस्वस्थ्य महसूस कर रहे हों, तो उनके माता–पिता को अपने बच्चों को बाहर जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

- अभिभावकों को सलाह दी जा सकती है कि उनके बच्चों के मोबाइल पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड किया गया हों।
- माता–पिता को उन्हें स्वस्थ्य भोजन की आदतों और प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपायो के बारे में सचेत करना चाहिए।
- माता पिता को उन्हें मानसिक शारीरिक रूप से फिट रखने के लिये व्यायाम, योग, ध्यान और सांस लेने के व्यायाम से प्रेरित करना चाहिए।

(4) छात्रों की भूमिका

- सभी छात्रों को फेस कवर/मास्क पहनना चाहिए और सभी निवारक उपाय करना चाहिए।
- मोबाइल में आरोग्य सेतु एप लोड करना चाहिए।
- छात्रों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य रहना चाहिए। तन्दरूस्त रह कर वे दूसरों का भी ध्यान रख सकते है।
- छात्रों को ऐसी गतिविधियॉ विकसित करनी चाहिए जो प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिये व्यायाम, योग्य, ताजे फल और स्वस्थ्य भोजन (फास्ट फूड से बचना), समय से सोना शामिल हो।
- छात्रों को कोविड–19 महामारी के मद्देनजर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों द्वारा शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का पालन करना चाहिए।

(5) सामान्य उपाय

- विश्वविद्यालय परिसर में 06 फीट की शारीरिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- अनिवार्य रूप से फेस कवर/मास्क का उपयोग किया जाय।
- हाथों को बार–बार गंदे न होने पर भी साबुन से हाथ धोना तथा जहाँ तक सम्भव हो, अल्कोहल–आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए।
- परिसर में थूकना सख्त वर्जित होना चाहिए।
- टिशू/रूमाल/फ्जेक्स्ड एल्बो के साथ खांसने/छीकनें के दौरान नाक एवं इस्तेमाल किए गए टिश्यू को डिस्पोज करने के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।
- सभी द्वारा स्वास्थ्य की स्व–निगरानी और जल्द से जल्द किसी बीमारी का रिर्पोट करना।
- सभी को आरोग्य सेतु का नियमित उपयोग करना।

(6) संस्था खोलने से पहले:–

- कन्टेनमेन्ट जोन में रहने वाले शिक्षक/कर्मचारी तथा छात्रगण को संस्थान में आने की अनुमति नहीं होगी।

- संस्था में गतिविधि शुरू करने से पहले ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पीएचडी कोर्स तथा स्नातकोत्तर अध्ययन जिसमें छात्रावास, प्रयोगशालायें तथा अन्य सामान्य उपयोगी क्षेत्रों को विशेष रूप से ध्यान रखते हुए 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट से सेनिटाइज कराया जाय।
- बायोमैट्रिक्स उपस्थिति के बजाय सम्पर्क रहित उपस्थिति के लिये वैकल्पिक व्यवस्था की जाय।
- परिसर में अन्दर–बाहर आने–जाने वालों के लिये कतार का प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाय जिसमें छः फीट की दूरी पर विशिष्ट चिन्ह् बनाया जाय।
- संस्थान में राज्य हेल्पलाइन नम्बर तथा स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के नम्बर आदि भी प्रदर्शित किया जाय।
- एयर कन्डीशन/वेंटीलेशन के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों का पालन करना चाहिए। सभी एयर कंडीशन उपकरणों का तापमान 24–30oC की सीमा होनी चाहिए, सापेक्ष आर्द्रता 40–70 प्रतिशत की सीमा में होनी चाहिए। ताजी हवा का सेवन जितना सम्भव हो होना चाहिए और क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए।
- जब तक छात्र कोविड–19 की बीमारी से मुक्त रहेंगे वह लॉकर का उपयोग करते रहेंगे।
- जिम का प्रयोग स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के पालन के अनुसार करेंगे। (available at: https://www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelinesony ogainstitutesandgymnasiums 03082 020.pdf).
- स्विमिंग पूल बन्द रहेंगे।

(7) उपलब्धता एवं आपूर्ति का प्रबन्धन

- संस्थान के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिये फेस कवर, मास्क, हैण्ड वॉश तथा सेनिटाइजर का प्रबन्ध होना चाहिये।
- थर्मल गन, अल्कोहल वाइप्स तथा 01 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट तथा डिस्पोजल पेपर, साबुन, कोविड पर आईईसी सामग्री पर्याप्त आपूर्ति होनी चाहिए।
- संस्थान में रोगग्रस्त व्यक्ति के ऑक्सीजन स्तर की जांच के लिये पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था होनी चाहिए।
- पर्याप्त मात्रा में कवर किये गये डस्टबीन और कचरे का डिब्बा उपलब्ध होना चाहिए। इस्तेमाल किये गये वस्तुओं एवं सामान्य कचरे को डिसपोज ऑफ करने के लिये CPCB के दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए।
- हाउस कीपिंग स्टाफ को डिस्पोजल करने के लिये उनको सूचित एवं प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

(8) शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थानों को खोलने के बादः–

(क) संस्थान में प्रवेश करते समयः–

- प्रवेश करते समय भौतिक दूरी के माप दण्ड को अपनाते हुए थर्मल स्क्रीनिंग तथा हैंड सैनिटाइज किया जाना चाहिए।
- परिसर में शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक स्टॉफ, छात्रों तथा आगंतुको को अनुमति दी जानी चाहिए।
- कोविड–19 के बारे में निवारक उपायों पर पोस्टर प्रमुखता से परिदर्शित होना चाहिए।
- पार्किंग स्थल, गलियारो में तथा लिफ्ट में उचित दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।
- आगंतुको का प्रवेश सख्ती से प्रतिबंधित होना चाहिए।

(ख) कक्षा में शिक्षण गतिविधियों का संचालन

- छात्रों को कक्षाओं में बैठने के लिए 06 फीट की दूरी सुनिश्चित किया जाय।
- कक्षाओं में भौतिक दूरी के साथ पर्याप्त समय के लिए अलग–अलग स्लॉट में कक्षाओं की गतिविधियों को पूरा किया जाय।
- शैक्षणिक कार्य हेतु नियमित कक्षा तथा ऑन लाइन कक्षा का मिश्रण होना चाहिए।
- शिक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि स्वयं तथा छात्र शिक्षण गतिविधियों में मास्क पहने हो।
- छात्रों के बीच लैपटाप, नोटबुक, स्टेशनरी आदि सामान को साझा करने की अनुमति नही दी जायेगी।

(ग) छात्रावास।

- छात्रावास ऐसे मामलों में खोले जा सकते है, जहां सुरक्षा एवं स्वास्थ्य उपायों का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है। छात्रावास में कमरे के बंटवारे की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कोविड–19 के लक्षण वाले छात्रों को किसी भी परिस्थिति मे छात्रावास में रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- विभिन्न स्थानों से आ रहे छात्रों को 14 दिनो की अवधि के लिये क्वारंटीन पर रखा जाना आवश्यक है।
- छात्रावास के एरिया में कोई भीड़ नहीं होनी चाहिए। भीड़ से बचने के लिये छात्रों की संख्या को उचित रूप से सीमित करने की आवश्यकता है। छात्रों को छात्रावास में चरणबद्ध तरीके से बुलाया जा सकता है।
- सभी छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- डायनिंग हॉल, सामान्य कमरे, खेल के क्षेत्र में छात्रों की दूरी सीमित होनी चाहिए।
- रसोई, डायनिंग हॉल, बाथरूम एवं शौचालय आदि की स्वच्छता की निगरानी नियमित रूप से रखी जानी चाहिए।

- डायनिंग हॉल में भीड़ से बचने के लिये छोटे–छोटे बैचों में छात्रों को भोजन के लिये बुलाया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भोजन ताजा पका हुआ हों तथा एक वरिष्ठ कर्मचारी की निगरानी में भोजन बनाया जाना चाहिए तथा बर्तन साफ–सुथरे होने चाहिए।
- भोजन बनाए जाने से पूर्व कर्मचारियों द्वारा फेस कवर, मास्क तथा हाथों को सेनेटाइज किया जाना आवश्यक है।
- छात्रों एवं कर्मचारियों को बाजार में जाने से बचना चाहिए। जहां तक सम्भव हों आवश्यक वस्तुओं को परिसर के भीतर ही उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- हॉस्टल के भोजन कक्ष में छात्रों की संख्या को निर्धारण कर सकते है। भीड़भाड़ से बचने के लिये मेस टाइमिंग बढ़ाई जा सकती है।

(घ) **कॉमन एरिया–लाइब्रेरी, जिम आदि में गतिविधियों के सम्बन्ध में**

- 06 फीट की भौतिक दूरी बनाये रखनी चाहिए।
- कॉमन एरिया का उपयोग करने वाले व्यक्ति को हर समय मास्क पहना चाहिए।
- स्वीमिंगपूल बन्द रखना चाहिए।
- नकद लेने देन से बचना चाहिए।

(ड) **स्वच्छता**

- फर्श की दैनिक रूप से सफाई की जाय।
- पर्याप्त मात्रा में शौचालय में साबुन तथा अन्य क्षेत्रों में सेनिटाइजर का प्रावधान होना चाहिए।
- डोर नॉब्स एलेवेटर बटन, हैंडबेल, चेयर, बेंच, वॉशरूम तथा फिक्स्चर को 01 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट का उपयोग करके बार–बार छुई जाने वाली सतहों की नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए।
- शिक्षण सामग्री, कम्प्यूटर लेपटॉप, प्रिन्टर नियमित रूप से 70 प्रतिशत एल्कोहल के साथ सफाई करनी चाहिए।
- सभी पीने तथा हाथ धोने वाले वॉशरूम तथा लैबोटरी की कड़ी सफाई होनी चाहिए।
- छात्रों एवं कर्मचारियों के लिए अलग–अलग कवर के डिब्बा को क्लास रूम, प्रयोगशाला तथा अन्य कामन एरिया में रखे जाने का इंतजाम होना चाहिए, जिससे फेस कवर/मास्क को डब्बों में फेंका जा सके। उक्त डब्बों को 03 दिन सूखने के बाद डिस्पोज ऑफ की कार्यवाही की जाय। विश्वविद्यालय में आवासीय भवन हों, तो नियमित रूप से स्वच्छता का ध्यान रखा जाय।

(9) <u>मानसिक स्वास्थ्य के लिये परामर्श एवं मार्गदर्शन</u>

- सभी संकायों के सदस्यों, छात्रों और कर्मचारियों को "मनोदर्पण" नाम के वेब पेज से अवगत कराया जाना चाहिए। वेब पेज में सलाह, व्यवहारिक सुझाव, पोस्टर, वीडियो, साइको सोशल सपोर्ट, FAQ तथा ऑनलाइन क्योरी से अवगत कराया गया है। इसके अलावा एक राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर–8445440632 विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों के छात्रों के लिये Outreach स्थापित किया गया है जो उनके मानसिक स्वास्थ्य और मनोसमाजिक मुद्दों को दूर करने के लिये टेली काउन्सिलिंग प्रदान करेगा।
- विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक चिन्ताओं तथा छात्रों की भलाई के लिये एक हेल्पलाइन नम्बर स्थापित करना चाहिए, जिन्हें काउन्सलर और चिन्हित संकायों द्वारा नियमित रूप से मानिटरिंग करने की आवश्यकता है।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के वीडियो लिंक https://www.mohfw.gov.in/on विश्वविद्यालय /महाविद्यालय की वेबसाइट पर तथा ई–मेल के माध्यम से छात्रों और फैकल्टी के साथ, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप एवं ट्विटर आदि के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिये व्यवहारिक सुझाव से अवगत कराया जाय।

3– इसके साथ ही प्रदेश के चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग तथा जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर दिये गये अन्य निर्देशों का भी अनुपालन अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जायेगा।

<u>संलग्नक–यथोक्त।</u>

भवदीया,

(मोनिका एस. गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पृष्ठांकन :– पत्रांकः 4404/पू.वि.वि./शैक्षणिक/2020 **दिनांक** : 19.11.2020

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कि शासन के उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें/करायें।

1. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
2. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/शिक्षकगण परिसर पाठ्यक्रम।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा, अधिकारी, वाराणसी ।
5. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या सम्बद्ध महाविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर को इस आशय से प्रेषित कि शासन के संदर्भित पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करें/करायें।
6. समस्त अधिकारीगण विश्वविद्यालय परिसर।
7. वेवमास्टर, विश्वविद्यालय वेवसाइड को इस आशय से उपरोक्त सूचना विश्वविद्यालय पर अपलोड करने का कष्ट करें।
8. विशेष कार्याधिकारी, कुलपति, मा0 कुलपति महोदया के आदेश दिनांक 19.11.2020 के अनुपालन में संज्ञानार्थ प्रेषित।
9. समस्त अधीक्षक/प्रभारी विश्वविद्यालय परिसर।

19/11/20
कुलसचिव